पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

सत्तू

ग्राम पंचायत - हथाई,

ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा

तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - ऐसी मान्यता है कि पुराने समय में गांव में ब्राह्मणों का निवास था। किसी ब्राह्मण की मृत्यु होने पर उसके साथ में उसकी पत्नी भी सती हुई थी और सती होने के कारण इस गांव का नाम सत्तू पड़ गया। सत्तू गांव बहुत पुराना गांव है। आज भी गांव में कई बार किसी कार्य से खुदाई करते हैं तो अंदर से मिट्टी के खिलोने, पुराने बर्तन और खपरैल के टुकड़े इत्यादि निकलते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि यहां कभी लोगों के घर हुआ करते थे। गाँव के बूढ़े लोग बताते हैं कि यहाँ पर 900 ब्राह्मण लोगों की बस्ती थी। एक बार राजपूत लोगों ने ब्राह्मण लोगों का एक सामूहिक भोज रखा था। खाना खाते समय एक घोड़ा दौड़ा तो किसी ने क्रोधित हो कहा कि "थारो रोग थाय(तुम बीमार हो जाओ)। उसके बाद गांव में कोई हवा(महामारी) फैल गई जिससे कई ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। इसके कारण ब्राह्मण लोग वहां से पलायन कर गए। वह कहते हैं कि गांव सदियों पुराना है। पुराने समय में गांव जंगल से घिरा हुआ था। आसपास जंगली पशु, पक्षी और वनस्पतियां पाई जाती थी धीरे-धीरे जंगल नष्ट हो गया है और पशु-पक्षी पलायन कर गए हैं। इस समय गांव में आदिवासियों के साथ-साथ चारण, जोगी, खटीक, वैष्णव, और पटेल आदि समाज के लोग रहते हैं। ब्राह्मण अब गाँव में एक भी नहीं है।

सत्तू गाँव में देवताओं और पूर्वजों के मूर्तियाँ

गाँव का एक परिचय - डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर दूर उत्तर में सत्तू गाँव बसा हुआ है जिसकी ग्राम पंचायत हथाई और ब्लॉक/पंचायत समिति दोवड़ा तथा तहसील एवं जिला डूंगरपुर है। गांव के पड़ोसी गाँव गणेशपुर, रामगढ़, हथाई और सीमलघाटी है। कुल मिलाकर गाँव में करीब 460

घर और आबादी करीब 2200 है। गांव में 3 मंदिर है- करणी माता गातोड़ जी और एक धुणी माता का है। गाँव के 5 फले हैं - जो पूरानी सत्तू (122 घर), नई सत्तू (110 घर), देवकी (100 घर), भगोरा फ़ला (65 घर) और पाटीदार बस्ती (75 घर) हैं। गांव में गांव सभा का गठन और शिलालेख 2018 को हुआ था। लोगों को पेसा कानून की जानकारी थोड़ी बहुत है महिलाओं को पेसा कानून की जानकारी कम है। गांव में आदिवासियों में कटारा, पारगी, कलासुआ और भगोरा उपजाति के लोग रहते हैं। गाँव के लोग गेहूं, मक्का, चना, सोयाबीन, चावल और उड़द आदि फसल पैदा करते हैं। पशुपालन भी करते हैं। उनकी खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान, पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है, जिससे बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। जिसमें दो-चार महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है बाकी समय खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। गाँव में शिक्षा का अभाव है क्योंकि वह गरीबी के कारण बच्चों को पढ़ा पाने में असमर्थ है। कम उम्र में ही बच्चे परिवार की परवरिश के लिए कमाने के लिए बाहर शहरों में चले जाते हैं। गाँव का पूरा रकबा 629 हेक्टेयर है। जिसमें कृषि भूमि 274 हेक्टेयर, बिलानाम 114 हेक्टेयर और चारागाह 60 हेक्टेयर और वन भूमी चार हेक्टेयर(जिस पर वन विभाग का कब्जा है)।

आवागमन की स्थिति - सत्तू गांव डूंगरपुर आसपुर वाया फलोज मार्ग के पूर्व में मुख्य सड़क से करीब 6 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। हथाई से एक सड़क सत्तू गांव के लिए जाती है। कहीं जाने आने के लिए लोगों को गांव से हथाई तक आना पड़ता है। गांव से हथाई के लिए दो-तीन टेंपो चलते हैं। वह तभी गांव से चलते हैं जब पूरी तरह से भर जाते हैं। उनमें सवारिया भेड़ बकरी की तरह भरी जाती है। जिनको जल्दी होती है वह अपने निजी साधन से अथवा पैदल चलकर हथाई जाते हैं। वहां से कहीं आने जाने के लिए टेंपो जीप अथवा बस मिलती है। गाँव के फलों में आने जाने के लिए सी.सी. रोड और कच्चे रास्ते हैं उन रास्तों से लोगों के घर तक जाने के लिए पगडंडी है जहां चार पहिया वाहन नहीं पहुंच सकता है। केवल पैदल ही आना जाना पड़ता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गांव में 1 आंगनवाड़ी है। गाँव में दो स्कूल हैं। एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। विद्यालयों में अध्यापकों, कमरों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है और ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं होने से और गरीबी के कारण बच्चे छोटी उम्र में स्कूल छोड़कर बाल मजदूरी में लग जाते हैं। गाँव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए एक आर.ओ.प्लांट स्कूल में लगा है जिसमें सिक्का या कार्ड डालने पर ही पानी निकलता है। जिसके कारण कम ही लोग उसका उपयोग करते हैं। गांव में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र हथाई में है। वहां पर एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। मरीज की स्थिति अगर गंभीर है तो उसको करीब 37 किलोमीटर डूंगरपुर ले जाना पड़ता है। गाँव के आस-पास कोई दवा की दूकान भी नहीं है। पशु अस्पताल भी गाँव में नहीं है। वह भी फलोज में है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए 37 किलोमीटर दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है।

गाँव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है-

आवागमन की कमी - डूंगरपुर-आसपुर मुख्य सड़क से 6 किलोमीटर दूर पूरब दिशा में सत्तू गांव बसा है मुख्य सड़क से गांव में आने-जाने के लिए हथाई से पक्की सड़क है। हथाई से गांव में जाने के लिए दो-तीन टेंपो चलते हैं जो पूरी सवारी हो जाने के बाद ही गांव जाते हैं। सामान्यतः लोगों को हथाई तक जाने आने के लिए निजी साधन अथवा पैदल ही जाना आना पड़ता है। गाँव फलों के लिए कच्चे रास्ते या पगडंडी है। गाँव में पांच सी. सी. सड़क और सात कच्ची सड़क हैं। लोग 2 से 5 किलोमीटर पैदल आते-जाते हैं। बरसात में आदिवासी फलों में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। पहाड़ी रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, जिनको आर.सी.सी. सड़क या समतल करने की बेहद जरूरत है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गांव में 30 कुए हैं, 20 हैंडपंप, दो तालाब, एक एनिकट और तीन चेक डैम हैं। गाँव में एक नाला निकलता है जिस पर एक एनीकट हैं जिनमें बरसात बाद पानी सूख जाता है। सिंचाई के लिए करीब 15 लोगों ने ट्यूबवेल लगा रखे हैं जिनमें बरसात के बाद जल स्तर नीचे चला जाता है कुछ कुएं गर्मियों में सूख जाते हैं। गाँव का चरागाह जो पहाड़ियों पर है, उस पर भी कुछ लोगों का कब्जा है। आदिवासियों के पास जो जमीन है वह पहाड़ों की ढलान पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है जिससे उनके पास कृषि लायक भूमि नहीं है। किसी तरह से बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गाँव के समतल जमीन और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों के उपयोग की गाँव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। जमीन और पहाड़ियों को कब्जे में लेकर उसे उसी तरह छोड़ दिया गया है। ज्यादातर पहाड़ियां ना तो उनके नाम है न ही उनको अभी तक अधिकार पत्र ही मिले हैं। अभी तक जल स्तर को ऊंचा करने की योजना गाँव के लोगों के पास कुछ भी नहीं है। गाँव के पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग ट्यूबवेल का पानी पीते हैं जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती है।

कृषि और रोजगार की स्थिति - गाँव की उपजाऊ समतल जमीन पर वह धान, गेहूं, मक्का, उड़द, चना, सोयाबीन और सब्जियों आदि की खेती करते हैं। शेष जमीन उबड़-खाबड़ है। जिस पर सिर्फ घास होती है। गाँववासी पशुपालन में भैंस, गाय और बैल भी रखते हैं जिनसे कंपोस्ट खाद तैयार करके खेतों में भी डालते हैं जिनसे उनकी उपज बढ़ती है। कुछ लोगों पास पथरीली, ऊबड़-खाबड़, पहाड़ी की ढलान वाली ही जमीन है जिन पर वह खेती करते हैं। वह भी मात्र एक फसल की खेती कर पाते हैं। उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उनके पास इतनी कृषि भूमि भी नहीं है कि वह लोग सिंचाई की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था कर सके। इसलिए वह साल भर में मात्र एक फसल ले पाते हैं। कृषि भूमि कम होने के कारण लोग मनरेगा में मजदूरी करते हैं या गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं।

मनरेगा में मजदूरी अधितर 100 रु. से कम मिलती है और काम भी 100 दिन से कम ही मिलता है। इसलिए मनरेगा में अधिकांश महिलाएं ही जाती है। पुरुष गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी करते है जहाँ वह 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं। गाँव में सरकारी नौकरी करने वाले 5 लोग है।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव के कुछ लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी और भैंस पालते हैं। गाँव के चरागाह और पहाड़ियों पर कुछ लोगों का कब्जा होने से जो घास मिलती है वह उनके चारे की कमी को पूरा कर देती है बाकी आदिवासी परिवारों में चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। चारे और पानी की कमी से गर्मियों में उनके पशु कमजोर हो जाते हैं। चारे का आभाव और अच्छी नस्ल न होने से गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस ढाई लीटर दूध देती है जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है। उनके लिये पशु पालन कर पाना कठिन है क्योंकि उनको चारा चराने की जगह उनके पास नहीं है। गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - खेती, पशुपालन और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गाँव में नहीं है। जिन लोगों के पास खेती ज्यादा है वह लोग कृषि और पशुपालन में लगे हैं। जिनके पास कृषि भूमि कम है उन परिवारों के लोगों को गुजरात के शहरों में दैनिक मजदूरी करने जाना पड़ता है क्योंकि मनरेगा में काम भी 60-70 दिन ही मिलता है और मजदूरी भी 80-90 रु. प्रतिदिन ही मिलती है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - ज्यादातर गाँव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। अधिकांश लोगों को आवास योजना के अंतर्गत आवास नहीं मिले हैं। कुछ लोगों को शौचालय का भुगतान नहीं मिला है। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उम्र संशोधन कराने की एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी-कभी उनसे इसके लिए शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे की भी मांग की जाती है। यही हाल राशन की दुकानों पर भी है। कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। कभी कभी राशन की गुणवत्ता खराब होती है। गेहूं के अलावा न तो उनको चावल और चीनी मिलती है और न ही मिट्टी का तेल मिलता है जिसके कारण लोगों को रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल तालाब नाला कुआं हैंडपंप ट्यूबवेल	गांव में 30 कुए, 20 हैंडपंप, दो तालाब, एक एनिकट और तीन चेक डैम हैं। गाँव में एक नाला निकलता है जिस पर एक एनीकट हैं जिनमें बरसात बाद पानी सूख जाता है। सिंचाई के लिए करीब 15 लोगों ने ट्यूबवेल लगा रखे हैं जिनमें बरसात के बाद जल स्तर नीचे चला जाता है कुछ कुएं गर्मियों में सूख जाते हैं।	कुओं को गहरे करने की योजना, नाले पर और एनीकट बनाया जाए और गाँव के पहाड़ों के दर्रे पर एनीकट का निर्माण कर दिया जाए तो गाँव के लोगों की सिंचाई का संकट दूर हो सकता है। जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा। और गाँव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। तालाब के गहरीकरण की योजना है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	गाँव में समतल, पहाड़ी ढलान, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन तथा पहाड़ है। समतल जमीन उपजाऊ है। गाँव में बिला नाम जमीनें भी है जिस पर लोगों का कब्जा है। गाँव में चारागाह भी है लेकिन वह पहाड़ियों पर है। जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। गाँव की संपूर्ण चरागाह भूमि पर पाटीदार परिवारों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है बाकी जमीनें असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। कृषि भूमि कृषि योग्य नहीं है।	गाँव की कुछ जमीनों का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। चारागाह भूमि, जो पहाड़ियां बिला नाम की हैं तथा गाँव की बेकार पड़ी जमीनों को गाँव सभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। सब्जी की खेती भी करके आय बढ़ाई जा सकती है। कृषि भूमि की मेड़बंदी की योजना है। विला नाम भूमि पर लोगों का कब्जा है जिसे कब्जा हटाने की योजना है। चरागाह पर अतिक्रमण है अतिक्रमण हटाने की योजना है।
जंगल	गाँव में जंगल की जमीन पर उस जमीन पर वन विभाग का कब्जा है। जिसमें कुछ कटीली झाड़ियाँ और बबूल	जंगल पर गांव सभा द्वारा सामुदायिक दवा करके वन को गाँव सभा के अधीन करना। बबूल को हटाकर फलदार वृक्ष लगाने की

	के आलावा कोई फलदार और लघु वन उपज से आय देने वाले पेड़ नहीं है। पहाड़ी वन भूमि पर बबूल लगे हैं।	योजना है फलदार वृक्ष लगाकर जंगलों को पुनर्जीवित करना।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण गुणवत्तापूर्ण सड़के नहीं बनाई जाती है। जो सड़के बनाई जाती है वह प्रभावशाली लोगों के घर तक बनाई जाती है जिससे कमजोर आदिवासी लोगों के घरों तक सड़कों का अभाव है।	गाँव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत की एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते का संकट का समाधान होने की संभावना है।	**तात्कालिक**
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गाँव में दो स्कूल हैं। एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। विद्यालयों में अध्यापकों और कमरों की कमी, परकोटा और खेल मैदान होना और शौचालय न होना(छात्र-छात्राओं के लिए अलग अलग) आदि समस्याओं के कारण बच्चों की शिक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है साथ ही साथ गरीबी के कारण बच्चे छोटी उम्र में स्कूल छोड़कर बाल मजदूरी में लग जाते हैं। गाँव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए एक आर.ओ.प्लांट स्कूल में लगा	इस समस्या के समाधान के लिए गाँव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए ब्लॉक के अन्य गांवों की भी मदद ली जाएगी।	**तात्कालिक**

			है। जिसमें सिक्का या कार्ड डालने पर ही पानी निकलता है। जिसके कारण कम ही लोग उसका उपयोग करते हैं।		
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गाँव में कृषि योग्य भूमि कम है। जो कृषि भूमि है वह भी ज्यादातर और असमतल, पहाड़ी की ढलान और पथरीली है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नत शील बीज और खाद का अभाव है।	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। बागवानी पर भी विशेष ध्यान देना।	**तात्कालिक**
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गाँव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है उनके आवास नहीं बने हैं। जो सक्षम लोग हैं उनके आवास बन गए हैं। जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उनमें से कुछ लोगों का भुगतान नहीं हुआ है।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिकार ना देना एक बहुत बड़ी समस्या है। सैकड़ों वर्षो से लोग गांव में रहते हैं। अभी तक लोगों को उनके कब्जे की जमीन का अधिकार पत्र नहीं मिला है। इस समय सरकार ने पट्टे देना बंद कर दिया है अगर	काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबीज जमीन का नियमन कराना।	**दीर्घकालिक**

			पट्टे दिए भी जा रहे हैं तो मात्र 1 या 2 बीघे का ही पट्टा दिया जा रहा है। राजस्व विभाग ने पट्टे की पेनल्टी लेना बंद कर दिया है जिससे गांव के लोगों के सामने जमीन छीन जाने का खतरा बना हुआ है।	गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना। साथ ही साथ पेसा कानून की मदद लेना।	
6	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गांव में पानी पीने के लिए 30 कुँए और 20 हैंडपंप है। गांव के सभी हैंडपंप में फ्लोराइड पाया जाता है गर्मियों में लगभग सभी कुँए सूख जाते हैं लोगों को हैंडपंप और बोरवेल से पानी पीना पड़ता है। उसके लिए दूर-दूर तक जाकर लाना पड़ता है। ज्यादा नीचे के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जाती है उसके कारण गांव के लोगों को फ्लोरोसिस रोग हो जाता है यही पानी पशु भी पीते हैं जिससे वह भी फ्लोरोसिस का शिकार हो जाते हैं।	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - गाँव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	गांव में पक्की सड़क है जो आसपुर डूंगरपुर सड़क से गांव को जोड़ती है। वह 6 किलोमीटर दूर है लेकिन गांव से मुख्य सड़क तक	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गांव की कमेटियों का मजबूत नहीं होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और भ्रष्टाचार गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।

	कोई साधन नहीं चलता है जिससे लोगों को पैदल अथवा अपने साधन से ही 6 किलोमीटर आना जाना पड़ता है। एक फले से दूसरे फले तक जाने के लिए रास्ता ठीक नहीं है गांव के रास्ते से लोगों के घर तक जाने के लिए मात्र पगडंडी है जहां केवल पैदल ही जाया जा सकता है जिसके कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचाना काफी दूरह हो जाता है। बच्चों और बूढ़ों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।		
जल नाला कुआं बोरवेल हैंडपंप	भू-जलस्तर का नीचे जाना। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी।	बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता। वर्षा जल संरक्षण की योजना की जानकारी का अभाव।
आजीविका के साधन - मनरेगा, कृषि भूमि, तालाब(मछली पालन) एनिकट(मछली पालन)	खेती की जमीन और फसल उपज कम होना। गाँव में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होना।	गाँव में खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन। अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन। सब्जी	गाँव सभा का मजबूत नहीं होना। गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। उबड़-खाबड़ और पथरीला

	पशुपालन के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव और चारे का अभाव में दूध और मांस का कम उत्पादन होना। गांव में मजदूरी के अवसर कम मिलना। पानी और जमीन की समस्याओं के कारण बागवानी भी नहीं कर पाना। मछली पालन नहीं करना। गाँव के जंगल का बर्बाद होना।	की खेती तथा उन्नतशील बीज और खाद का प्रयोग कर आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं। तालाब की मरम्मत तालाब का गहरीकरण और मछली पालन करना। जंगल को गांव सभा के अधीन करना और उस से विकसित करके लघु वनोपज लेना।	और ढलान वाली होना। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी। जंगल को गांव सभा के अधीन करना।
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। और जमीन का असमतल तथा पथरीली होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

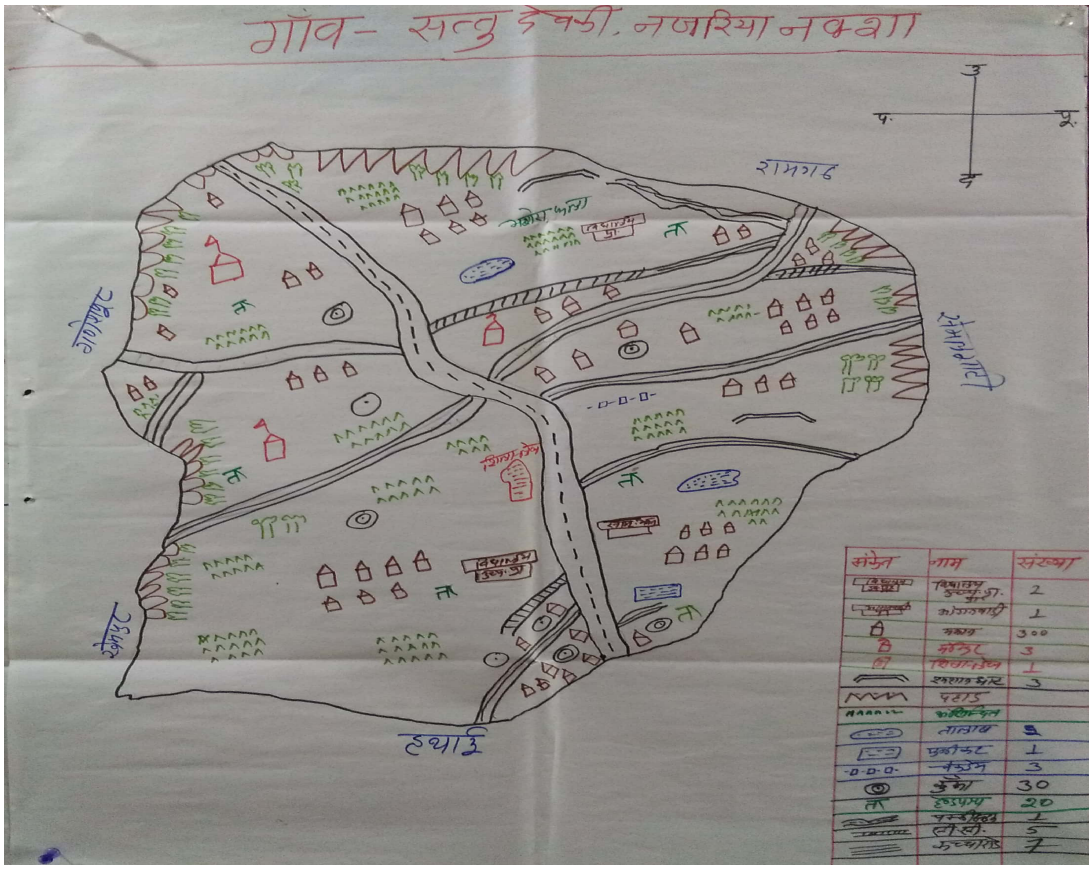

नजरिया नक्शा सत्तू

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	पेंशन के सम्बन्ध में -	
	वृद्धा पेंशन	57
	वृद्धा पेंशन बकाया भुगतान(बंद को चालू करवाना)	3
	विधवा पेंशन	3
	पालनहार योजना 0-5 वर्ष	4
	पालनहार योजना 6-18 वर्ष	10
	एकल नारी योजना	2
	विकलांग पेंशन	3
2	मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास के संबंध में	91
3	शौचालय निर्माण के संबंध में	3
	शौचालय बकाया भुगतान	10

4	विद्यालय के संबंध में अध्यापकों की नियुक्ति कमरों की मरम्मत परकोटा निर्माण शौचालय निर्माण(छात्र-छात्राओं के लिए अलग अलग) खेल मैदान	1
5	उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण मरसी महूड़ा होली चौक के पास	1
6	राशन की दुकान खोलने के लिए कमजी भाई की दूकान के पास	1
7	सामुदायिक भवन के संबंध में होली चौक पर सामुदायिक भवन निर्माण	1
8	जर्जर आंगनबाड़ी भवन की जगह स्कूल परिसर में नया आंगनबाड़ी भवन निर्माण करना	1
9	रास्ता निर्माण कच्चा रास्ता - (4 सड़कें) सी.सी. सड़क - (7 सड़कें)	11
10	तालाब गहरीकरण - कुंडाला वाला तालाबड़ी का गहरीकरण और मरम्मत दान्तला तलावडी का गहरीकरण और मरम्मत हगाबा का दरा में नए तालाब का निर्माण -	1
11	नया हैंडपंप लगाने के संबंध में	11
12	केटेगरी 4 के कार्य खेत समतलीकरण पशु बाड़ा निर्माण नए कुए का निर्माण पुराने कुएं का गहरीकरण और मरम्मत के संबंध में	17
13	चेक डैम	7
14	एनीकट निर्माण के संबंध में राजू धुला कटारा के घर के पीछे नया एनीकट	1
15	वृक्षारोपण - गांव की सार्वजनिक भूमि पर	1
16	सामाजिक विवाद निपटाने के संबंध में	1
17	धार्मिक कुरीतियों के संबंध में बाल विवाह पर रोक बाल श्रम पर रोक	1

	मोताणा पर रोक डायन प्रथा पर रोक	
18	शमशान घाट निर्माण के संबंध में पतरे लगवाना, चबूतरा निर्माण	1
19	शिलालेख पर चबूतरा निर्माण	1

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

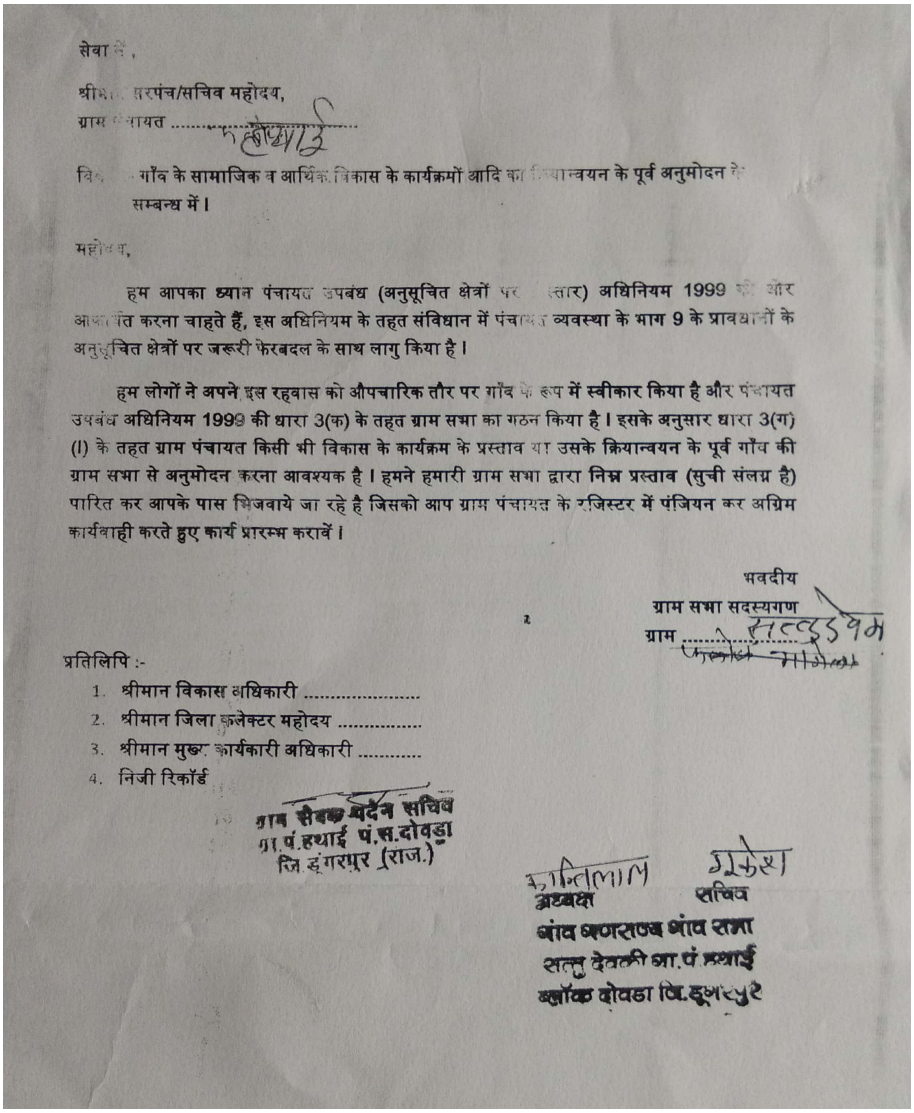

सेवा में,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ....हथाई..........

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग)(I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम ....सत्तुदेवल..........

प्रतिलिपि :-
1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्रा.पं.हथाई पं.स.दोवड़ा
जि.डूंगरपुर (राज.)

अध्यक्ष सचिव
गांव गणराज्य गांव सभा
सत्तु देवली ग्रा.पं. हथाई
ब्लॉक दोवडा जि.डूंगरपुर

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

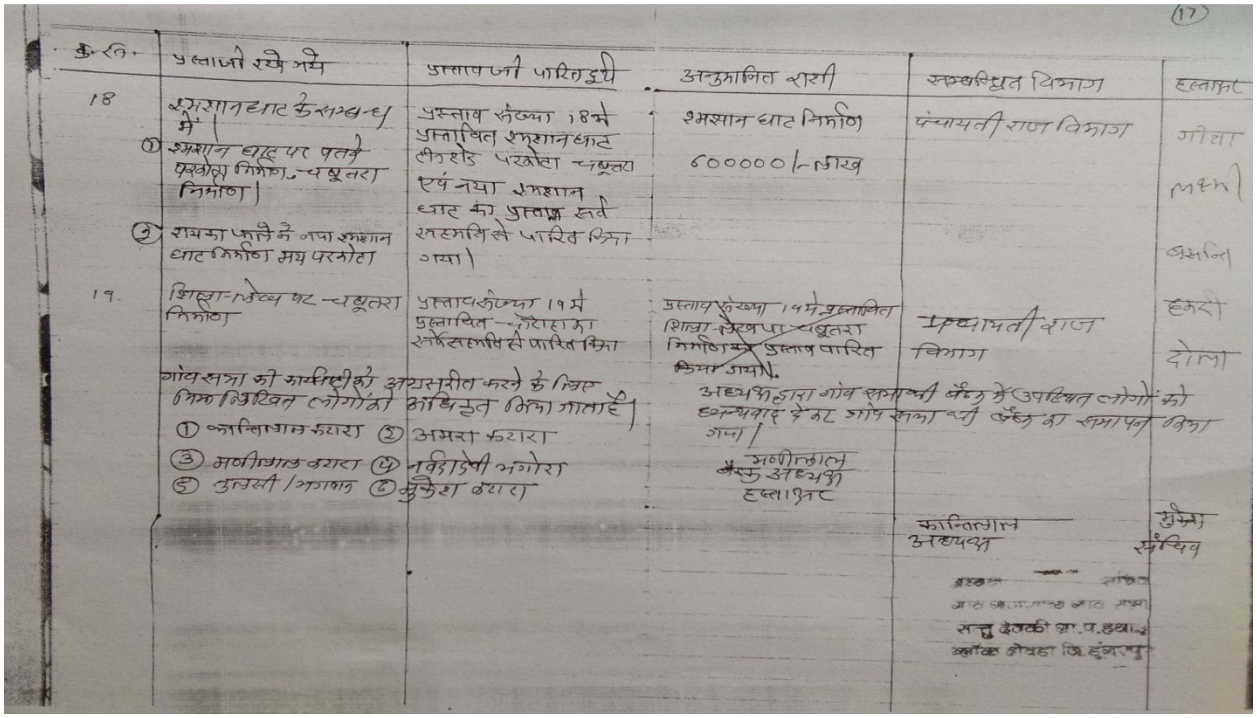

(17)

क्र.सं.	प्रस्ताव जो रखे गये	प्रस्ताव जो पारित हुये	अनुमानित राशी	सम्बन्धित विभाग	हस्ताक्षर
18	श्मशान घाट के सम्बन्ध में । ① श्मशान घाट पर पतरे परकोटा निर्माण, चबूतरा निर्माण । ② रामका फाटे में नया श्मशान घाट निर्माण मय परकोटा	प्रस्ताव संख्या 18 में प्रस्तावित श्मशान घाट टीनशेड परकोटा चबूतरा एवं नया श्मशान घाट का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया ।	श्मशान घाट निर्माण 600000/- लाख	पंचायती राज विभाग	गीता, मेहनी, बसन्ति
19.	शिला-लेख पट चबूतरा निर्माण	प्रस्ताव संख्या 19 में प्रस्तावित चौराहा का सर्वसम्मति से पारित किया	प्रस्ताव संख्या 19 में प्रस्तावित शिला-लेख पट चबूतरा निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया।	पंचायती राज विभाग	हकरी, दोला

गांव सभा की कार्यवाही को अग्रसरीत करने के लिए निम्न लिखित लोगों को अधिकृत किया जाता है।
① कान्तिलाल डयारा ② अमरा डयारा
③ मणीलाल डयारा ④ नवीडेवी भगोरा
⑤ तुलसी / भगवान ⑥ मुकेश डयारा

अध्यक्ष द्वारा गांव सभा की बैठक में उपस्थित लोगों को धन्यवाद देकर गांव सभा की बैठक का समापन किया गया।

मणीलाल
अध्यक्ष
हल्ला फाट

कान्तिलाल — अध्यक्ष
मुकेश — सचिव

सचिव
ग्राम पंचायत
सन्नु देवकी ग्रा.प.हथा..
ब्लॉक सीमलवाड़ा जि. डूंगरपुर

प्रस्ताव प्रथम पेज

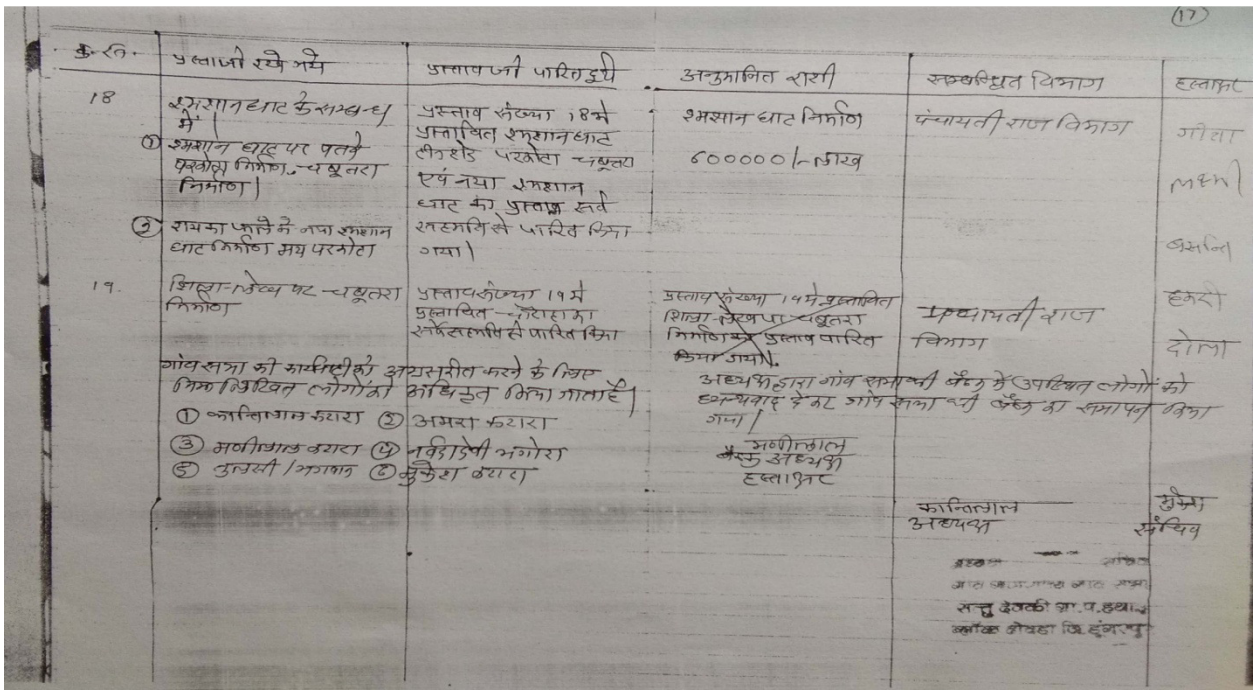

(17)

क्र.सं.	प्रस्ताव जो रखे गये	प्रस्ताव जो पारित हुये	अनुमानित राशी	सम्बन्धित विभाग	हस्ताक्षर
18	श्मशान घाट के सम्बन्ध में । ① श्मशान घाट पर पतरे परकोटा निर्माण, चबूतरा निर्माण । ② रामका फाटे में नया श्मशान घाट निर्माण मय परकोटा	प्रस्ताव संख्या 18 में प्रस्तावित श्मशान घाट टीनशेड परकोटा चबूतरा एवं नया श्मशान घाट का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया ।	श्मशान घाट निर्माण 600000/- लाख	पंचायती राज विभाग	गीता, मेहनी, बसन्ति
19.	शिला-लेख पट चबूतरा निर्माण	प्रस्ताव संख्या 19 में प्रस्तावित चौराहा का सर्वसम्मति से पारित किया	प्रस्ताव संख्या 19 में प्रस्तावित शिला-लेख पट चबूतरा निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया।	पंचायती राज विभाग	हकरी, दोला

गांव सभा की कार्यवाही को अग्रसरीत करने के लिए निम्न लिखित लोगों को अधिकृत किया जाता है।
① कान्तिलाल डयारा ② अमरा डयारा
③ मणीलाल डयारा ④ नवीडेवी भगोरा
⑤ तुलसी / भगवान ⑥ मुकेश डयारा

अध्यक्ष द्वारा गांव सभा की बैठक में उपस्थित लोगों को धन्यवाद देकर गांव सभा की बैठक का समापन किया गया।

मणीलाल
अध्यक्ष
हल्ला फाट

कान्तिलाल — अध्यक्ष
मुकेश — सचिव

सचिव
ग्राम पंचायत
सन्नु देवकी ग्रा.प.हथा..
ब्लॉक सीमलवाड़ा जि. डूंगरपुर

प्रस्ताव अंतिम पेज

सत्तू गाँव में दूर दूर बसे घर

सत्तू गाँव का नजरिया नक्शा बनाते गाँव के लोग

सत्तू गाँव का बरसात के मौसम में एक दृश्य

विलेज प्लैनिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

नाम	**फोन न.**
1. कांतिलाल कटारा	9784747034
2. मुकेश कटारा	8094187525
3. मांगीलाल कटारा	